न्यायालय सहायक कलक्टर उच्चैन(भरतपुर)

पीठासीन अधिकारीः— सुश्री भारती गुप्ता (आर.ए.एस)
प्रार्थना पत्र कमांकः— 14/2023

1. सुखसिंह पुत्र हरभजन जाति जाट निवासी कुरका तहसील उच्चैन, ...प्रार्थी

बनाम

1. रामकली पत्नि विपतीराम जाति जाट
2. साहव सिंह
3. वलवीर सिंह
4. गंगासिंह पुत्रान विपतीराम जाति जाट निवासी कुरका तहसील उच्चैन।

.....अप्रार्थीगण

प्रार्थना पत्र अर्न्तगत धारा 212 आर.टी.ए.

उपस्थिति

1. श्री दुलीचन्द शर्मा एडवोकेट प्रार्थीगण
2. श्री धर्मेन्द्र चौधरी एडवोकेट अप्रार्थीगण

निर्णय **दिनांकः—12.05.2025**

प्रार्थी ने यह प्रार्थना पत्र जरिये अधिवक्ता राजस्थान कास्तकारी अधिनियम 1955 की धारा 212 के तहत पेश कर निवेदन किया है कि प्रार्थी आ0ख0नं0 1202/0.11, 1214/0.20, 2429/0.25, 2432/0.06, 72/0.35 बाके ग्राम कुरका तहसील उच्चैन के 1/3 भाग का सहखातेदार है तथा मनवट से आराजी खसरा नम्बर 2429/0.25, 2432/0.06 पर बखुवी न्यारानूर काबिज है जिसमें वादी अपनी अलग काश्त करता है। प्रार्थी की वादग्रस्त आराजी ख.नं. 2429/0.25, 2432/0.06 से अप्रार्थीगण को कोई सम्बन्ध व सरोकार नहीं है परन्तु अप्रार्थीगण झगडालू उपद्रवी, मुकदमेबाज, राजनैतिक पहुंच वाले गिरोहबाज और गांव के सरगना व्यक्ति है, जिनकी आराजी खसरा नम्बर 2427/0.25है0 प्रार्थी की आराजी ख0नं0 2429, 2432 के तरफ पश्चिम को चपेटा लगी स्थित है जिसकी आड में अप्रार्थीगण, प्रार्थी की उक्त वादग्रस्त आराजी की काफी रकवा पर अपना कब्जा करना चाहते है। अप्रार्थीगण ने प्रार्थी की उक्त आराजी पर पहले तो माह अक्टूबर सन् 2022 में अपना नाजायज कब्जा करने की नीयत से प्रार्थी की अनुपस्थिति में प्रार्थी की आराजी की पश्चिमी मेड को ट्रेक्टर से तोडकर प्रार्थी की आराजी में काफी अन्दर घुस कर अपनी पत्थर की मुड्डीयों को गाढ दिया और जब मालूम होने पर प्रार्थी ने मुड्डीयों को गाढने का विरोध किया तो अप्रार्थीगण ने अपनी मुड्डीयों हो हटा लिया और तोडी गई मैड को पुनः पुश्तैनी स्थान पर बना दिया परन्तु दिनांक 23.12.2022 को मौके पर अप्रार्थीगण ने प्रार्थी को खुलेआम प्रार्थी की आराजी पर कब्जा कर मुड्डीयां गाढने की धमकी दी उक्त दी गई धमकी के कारण प्रार्थी ने यह प्रार्थना पत्र न्यायालय में पेश किया है।

Bharti
सहायक कलक्टर
उच्चैन (भरतपुर)

प्रकरण दर्ज रजिस्टर किया जाकर अप्रार्थीगण को जरिये नोटिस तलब किया गया। अप्रार्थी संख्या बाबजूद प्रोपर तामील उपस्थित नहीं होने के कारण इनके विरूद्ध एकपक्षीय कार्यवाही अमल में लायी गई। अप्रार्थीगण संख्या 1 लगा0 3 ने जरिये अधिवक्ता जवाव पेश कर निवेदन किया है कि प्रार्थी ने उक्त प्रार्थना पत्र झूठे तथ्यों पर पेश किया है जवकि सच्चाई उक्त प्रार्थना पत्र के ठीक विपरीत है। अप्रार्थीगण की खातेदारी की आराजी खसरा नम्बर 2427 के ठीक लगी हुई आराजी अप्रार्थीगण की है यानि की हम अप्रार्थीगण के पूर्व में प्रार्थी की आराजी स्थित है। प्रार्थी ताकत एवं बहुमत वाला व्यक्ति है जो कि वहुमत के दम पर हमारी आराजी पर जबरन कब्जा करना चाहते है। दिनांक 20.10.2022 को जव हम अप्रार्थीगण अपनी आराजी ख0नं0 2427 पर पहुंचे तो हमने देखा कि हमारी आराजी की पूर्वी डौल को तोडकर हमारी आराजी के 20 फीट अन्दर घुसकर डौल डाल रहे थे जव हमने मना किया तो झगडे पर उतारू हो गये। अप्रार्थीगण ने न्यायालय में उपस्थित होकर एक मुकदमा उनवानी रामकली बनाम सुखसिंह बगै0 पेश कर प्रार्थीगण के विरूद्ध स्थगन प्राप्त कर लिया तथा तामील होने पर बिना किसी वाद कारण के प्रार्थी ने हमारे प्रार्थना पत्र को डिफेन्ड करने के लिये उक्त झुठा प्रार्थना पत्र इस न्यायालय में पेश किया है। जवकि 23.12.2022 को हम अप्रार्थीगण की प्रार्थी से कोई मुलाकात नहीं हुई। प्रार्थना पत्र को खारिज किये जाने का निवेदन किया है।

उभयपक्ष के विद्वान अधिवक्तागण की वहस सुनी गई। अभिभाषक प्रार्थी ने प्रार्थना पत्र के तथ्यों को दोहराते हुये कथन किया कि विवादित आराजी अप्रार्थीगण ने खरीद की है। प्रार्थीगण का यह कहना की पुश्तैनी डौल मैड बनी हुई है गलत है। प्रार्थीगण के द्वारा बिना अप्रार्थीगण की जानकारी के अप्रार्थीगण की आराजी के अन्दर बिना पैमाइश के मुड्डी गाढ दी थी। वाद कारण प्रार्थीगण ने ही पैदा किया है। प्रार्थीगण का प्रार्थना पत्र स्वीकार किये जाने का निवेदन किया है।

अभिभाषक अप्रार्थीगण ने जवाव प्रार्थना पत्र के तथ्यों को दोहराते हुये निवेदन किया कि अप्रार्थीगण की आराजी ख0नं0 2427 प्रार्थी की आराजी के चपेटा लगी हुई है एवं आराजी ख0नं0 2427 की पचासों वर्ष पुरानी डौल मैड डली हुई है एवं विवादित आराजी की तारबंदी एवं पत्थरगढी हो रखी है। दिनांक 10.10.2022 को प्रार्थी के द्वारा आराजी पर लगी हुई मुड्डीयों को उखाड दिया एवं अप्रार्थीगण की खातेदारी की आराजी पर जबरन कब्जा करने को उतारू हो रहे है। प्रार्थना पत्र प्रार्थी खारिज किये जाने का निवेदन किया है।

मेरे द्वारा उभयपक्ष के विद्वान अधिवक्तागण की बहस पर मनन किया गया प्रार्थना पत्र, जवाव प्रार्थना पत्र एवं प्रार्थना पत्र के साथ प्रस्तुत राजस्व रिकार्ड का अवलोकन किया गया। प्रार्थी द्वारा प्रस्तुत प्रकरण में प्रथमदृष्टया विषयवस्तु (प्राईमाफेसी केस) को समझना आवश्यक है। पत्रावली के अवलोकन से स्पष्ट है कि उक्त विवादित आराजी प्रार्थी की सहखातेदारी की आराजी है। जिसके कारण उक्त विवादित आराजी में प्रार्थी के हक निहित है। इस प्रकार प्रकरण में मजवूत प्रथमदृष्या विषयवस्तु/विवाद कारण उत्पन्न होना प्रतीत होता है जिसका निर्धारण दावा के गुणावगुण पर साक्ष्य–सबूत लेकर ही किया जा सकता है।

सहायक कलक्टर
उच्चैन (भरतपुर)

प्रकरण में अव प्रार्थी को होने वाली अपूरणीय क्षति को समझना आवश्यक है। प्रार्थी द्वारा प्रस्तुत प्रार्थना पत्र एवं पत्रावली के अवलोकन से स्पष्ट है कि प्रार्थी द्वारा उक्त आराजी का खातेदार काश्तकार होने के आधार पर अप्रार्थीगण को जरिये अस्थाई निषेधज्ञा से पावंद करवाना चाहा गया है। दौराने–ए–वाद विवादग्रस्त आराजी की मौके की स्थिति में यदि परिवर्तन होता है तो वाद के निर्णय के पश्चात प्रार्थीगण के अधिकारों पर नकारात्मक एवं अपूर्णीय क्षति होना प्रबल सम्भावित है इस प्रकार प्रकरण में प्रार्थीगण को अपूर्णीय क्षति होना प्रतीत होता है।

प्रकरण में अव सुविधा का संतुलन प्रार्थीगण के पक्ष में झुकाव रखने के वारे में समझना आवश्यक है। पत्रावली के अवलोकन से स्पष्ट है कि उक्त विवादित आराजी प्रार्थी की खातेदारी की आराजी है। दौराने वहस प्रार्थी के अधिवक्तागण द्वारा अवगत कराया गया कि अप्रार्थीगण के द्वारा विना प्रार्थी की जानकारी के उनकी आराजी के अन्दर मुड्डीयां गाढ दी थी जिनको अप्रार्थीगण ने समझाने के वाद हटा लिया था परन्तु अप्रार्थीण ने प्रार्थी की आराजी पर कब्जा करने की धमकी दी। जवकि अभिभाषक अप्रार्थीगण का कथन है कि विवादित आराजी पर प्रार्थी के द्वारा उक्त विवादित आराजी के चारो ओर गढी हुई मुड्डीयों को उखाड दिया एवं आराजी की डौल मैडो को तोडने पर उतारू है। उभयपक्ष के द्वारा प्रस्तुत दस्तावेजों एवं जमावंदी आदि के अवलोकन से स्पष्ट है कि उक्त आराजी में मौके की स्थिति यथावत रखने हेतु अस्थाई निषेधज्ञा जारी होने से अप्रार्थीगण को होने वाली असुविधा की तुलना में प्रार्थी को होने वाली असुविधा अधिक प्रतीत होने से सुविधा का संतुलन प्रार्थी के पक्ष में प्रतीत होता है।

इस प्रकार स्पष्ट है कि प्रार्थी का प्रकरण में मजवूत विवाद विषयवस्तु प्रकट होने, प्रार्थीगण को अपूर्णीय क्षति प्रतीत होने तथा प्रकरण में अस्थाई निषेधाज्ञा जारी होने से अप्रार्थीगण को हुई असुविधा की तुलना में प्रार्थी को होने वाली असुविधा अधिक प्रतीत होने से सुविधा का संतुलन प्रार्थी के पक्ष में प्रतीत होने के कारण उक्त आराजी पर अस्थाई निषेधाज्ञा जारी किया जाना उचित प्रतीत होता है।

अतः आदेश हैः–

प्रार्थना पत्र प्रार्थी स्वीकार किया जाता है। अप्रार्थीगण के विरूद्ध अस्थाई निषेधज्ञा ताफैसला वाद इस अम्र की जारी कर पावंद किया जाता है कि वे विवादित आराजी खसरा नम्वर नम्वर 2429/0.25, 2432/0.06है0 वाकै ग्राम कुरका तहसील उच्चैन (मुताबिक जमावंदी 2075–2078) में मौके की यथास्थिति वनाये रखें।

निर्णय लिखाया जाकर आज दिनांक 12.05.2025 को खुले न्यायालय में सुनाया गया।

भारती Bharti गुप्ता (आर0ए0एस0)
सहायक कलक्टर
उच्चैन भरतपुर

तारीख हुक्म	हुक्म या कार्यवाही मय इनिशियल्स जज	नम्बर व अहकाम हुक्म की में जारी
28/3/25	पत्रावली पेश हुई। अभि० उभयपक्ष उपस्थित। पत्रावली वास्ते जवाब दिनांक 15/4/25 को पेश हो। S.Bharti	
15/4/25	पत्रावली पेश हुई। अभि० उभयपक्ष उप० पत्रा० वास्ते जवाब दिनांक 16/4/25 को पेश हो। S.Bharti	
16/4/25	पत्रावली पेश हुई। अभि० उभयपक्ष उप० जवाब प्रार्थना पत्र पेश किया जो शामिल पत्रावली है। पत्रावली वास्ते बहस दिनांक 23/4/25 को पेश हो। S.Bharti	
23/4/25	पत्रावली पेश हुई। अभि० उभयपक्ष उप० पत्रावली वास्ते बहस दिनांक 1/5/25 को पेश हो। S.Bharti	
1/5/25	पत्रावली पेश हुई। अभि० उभयपक्ष उप० पत्रावली वास्ते बहस दिनांक 6/5/25 को पेश हो। S.Bharti	
6/5/25	पत्रावली पेश हुई। अभि० उभयपक्ष उप० उभयपक्ष के अधिवक्तागण की बहस सुनी गई। पत्रावली वास्ते आदेश दिनांक 12/5/25 को पेश हो। S.Bharti	
12/5/25	पत्रावली पेश हुई। अभि० उभयपक्ष उप० प्रार्थना पत्र प्रार्थी स्वीकार किया जाता है विस्तृत निर्णय पृथक से लिखवाया जाकर प्रा० कि है। पत्रावली फैसल शुमार हो नम्बर से कम होकर अभिलेख दफ्तर हो। S.Bharti सहायक कलक्टर उच्चैन (भरतपुर)	